

राजस्थान सरकार

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक-प.1(7)वित्त/साविलेनि/87

जयपुर, दिनांक : 26/05/92

परिपत्र संख्या : 23

आदेश

विषय:- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन बाबत।

राजस्थान महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में निम्न लिखित संशोधन करने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान करते हैं :-

The following shall be added as Note 4 below existing Note 3 under Rule 419 of the said rules :-

“Note-4. The purchasers of Tendu Patta Leaves/Units may continue to render Security Deposit 10% in cash (Bank Drafts) and 15% in the form of Bank Guarantee as per condition of their agreement in the Forest Department.”

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय/मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण,/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव/समस्त शासन सचिव/
विशिष्ट शासन सचिव।
3. समस्त निजी सचिव/उप शासन सचिव
4. समस्त संभागीय आयुक्त/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी, राजस्थान।
5. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (कोडिफिकेशन) विभाग 127 अतिरिक्त प्रतियां।
7. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. विधि रचना संगठन को भेजकर लेख है कि इस आदेश/परिपत्र का हिन्दी अनुवाद करारकर इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये ताकि हिन्दी अनुवाद को प्रेषित किया जा सके।
10. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
11. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
13. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
14. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
15. प्रधान सम्पादक, लेखाविज्ञ एवं सचिवालय सन्देश।

ललारुदीन
22-05-92

लेखाधिकारी